[2019] 4 उम. नि. प. 347

नीरवकुमार दिलीपभाई मकवाना

बनाम

गुजरात लोक सेवा आयोग और अन्य

[2019 की सिविल अपील सं. 5185]

4 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदिरा बनर्जी

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 16(4) और 309 [सपठित गुजरात वन सेना सहायक वन संरक्षण, श्रेणी II भर्ती नियम, 2007 का नियम 2] – सहायक वन संरक्षक और वन खंड अधिकारी के पदों पर भर्ती – आरक्षण – जब किसी आरक्षित प्रवर्ग अभ्यर्थी ने चयन प्रक्रिया में आयु शिथिलीकरण का लाभ उठाया है तब वह उसके पश्चात् सामान्य प्रवर्ग के स्थानों पर समायोजित/स्थानांतरित किए जाने की ईप्सा नहीं कर सकता है ।

प्रस्तुत मामले में, गुजरात लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक (वर्ग-II) (संक्षेप में 'ए. सी. एफ.') के 47 पदों के लिए और वन खंड अधिकारी (वर्ग-II) (संक्षेप में 'आर. एफ. ओ.') के 120 पदों के लिए एक विज्ञापन और उसके पश्चात् एक शुद्धिपत्र जारी किया था । उक्त विज्ञापन और शुद्धिपत्र के अनुसार, कुल 84 पद अनारक्षित (सामान्य प्रवर्ग) में से भरे जाने थे । उक्त 84 पदों में से 26 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे, 48 पद सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (जिसे संक्षेप में 'एस. ई. बी. सी.' कहा गया है) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों में से भरे जाने थे । एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 48 पदों में से 18 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे, 9 पद अनुसूचित जाति (जिसे संक्षेप में 'एस. सी.' कहा गया है) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों में से भरे जाने थे, जिनमें से दो पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे । इसी प्रकार, 26 पद अनुसूचित जनजाति (जिसे संक्षेप में 'एस. टी.' कहा गया है) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों में से भरे जाने थे, जिनमें से 8 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित

थे । विज्ञापन में यह भी अनुबंध किया गया था कि यथासाध्य 25 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी जो मुख्य विषय के रूप में वन-विज्ञान सहित बी. एससी. डिग्री धारण करते हैं । गुजरात लोक सेवा आयोग ने पहले प्रारंभिक परीक्षा और बाद में मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की । जिन 505 अभ्यर्थियों ने मुख्य लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी उन्हें शारीरिक मापमान परीक्षा के लिए बुलाया गया था । व्यक्तिगत साक्षात्कार भी लिए गए । अपीलार्थी ने एस.ई.बी.सी. प्रवर्ग में आवेदन प्रस्तुत किया । उसने गुजरात लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और चयनित अभ्यर्थियों की सूची में उसका नाम क्रम संख्यांक 138 पर दर्शाया गया था । अपीलार्थी ने उपर्युक्त योग्यता सूची की शुद्धता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष विशेष सिविल आवेदन फाइल किया । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने वह आवेदन मंजूर कर लिया । गुजरात लोक सेवा आयोग ने विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना करते हुए लेटर्स पेटेंट अपील फाइल की । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने वह अपील मंजूर कर ली है । प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती दी है । इस अपील में विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा अभ्यर्थी, जिसने आरक्षित प्रवर्ग का होने के परिणामस्वरूप किसी चयन प्रक्रिया में आयु शिथिलीकरण का लाभ उठाया है, इसके पश्चात् सामान्य प्रवर्ग के स्थान में समायोजित/या स्थानांतिरत किए जाने की ईप्सा कर सकता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – गुजरात लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित तारीख 1 मार्च, 2010 के विज्ञापन में, जिसके द्वारा ए. सी. एफ. (श्रेणी II) और आर. एफ. ओ. (श्रेणी II) के पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, एस. सी./एस. टी. और एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की गई थी । उस विज्ञापन में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन भी किया गया था कि यदि आरक्षित प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी सामान्य प्रवर्ग में आवेदन करता है तो

ऐसा अभ्यर्थी आयु शिथिलीकरण का फायदा प्राप्त नहीं करेगा । (पैरा 23)

संविधान का अनुच्छेद 16(4) एक समर्थकारी उपबंध है जिसके द्वारा राज्य को नागरिकों के किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में, जिसके बारे में राज्य की राय यह है कि उसका राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्तियों या पदों पर आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने के लिए सशक्त किया गया है । यह पूर्णतः राज्य सरकार के विवेकाधिकार का विषय है कि वह पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में सशर्त या अशर्त रियायत, छूट, अधिमानता या शिथिलता के लिए कोई नीति विरचित करे । चूंकि आरक्षण एक समर्थकारी उपबंध है इसलिए वह रीति और सीमा, जिस तक आरक्षण का उपबंध किया गया है, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश से स्पष्ट होनी चाहिए । वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने अपने परिपत्रों द्वारा एस. सी./एस. टी. और ओ.बी.सी. के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने के लिए नीति विरचित की है । राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब एस.सी./एस.टी., एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग के लिए किसी अभ्यर्थी का चयन करते समय आयु सीमा, अनुभव, अर्हता, लिखित परीक्षा में अनुज्ञात अवसरों की संख्या के संबंध में शिथिलीकृत मानदंड लागू किया जाता है तब उक्त रीति में चयनित ऐसे प्रवर्ग के अभ्यर्थी के बारे में उसके आरक्षित पद पर ही विचार किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थी को अनारक्षित पद के विरुद्ध विचार करने के लिए अनुपलब्ध समझा जाएगा । (पैरा 24 और 25)

अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउन्सेल की इस दलील में भी कोई सार नहीं है कि आरंभिक अर्हक प्रक्रम पर आयु में शिथिलीकरण परिपत्रों के विरुद्ध नहीं था । प्रारंभिक और अंतिम परीक्षा में जो प्रभेद करने की ईप्सा की गई है वह पूर्णतः भ्रामक है । विज्ञापन से यह स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति, जो आरंभिक प्रक्रम पर आयु शिथिलीकरण का लाभ लेता है, अंतिम प्रक्रम पर भी वह उसी शिथिलीकरण का आवश्यक रूप से लाभ लेगा । वर्तमान मामले में एस. सी./एस. टी. और एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रदान की गई आयु में शिथिलता भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण की एक घटना है । (पैरा 36)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2017] (2017) 12 एस. सी. सी. 680 :
दीपा ई. वी. बनाम **भारत संघ और अन्य** । 13,29,33

प्रभेदित निर्णय

[2010] (2010) 3 एस. सी. सी. 119 :
जितेन्द्र कुमार सिंह और एक अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** । 7,12,26, 28,30,32

निर्दिष्ट निर्णय

[2018] (2018) 11 एस. सी. सी. 352 :
गौरव प्रधान और अन्य बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** ; 13,31,33

[2017] (2017) 1 एस. सी. सी. 350 :
विकास संखाला और अन्य बनाम **विकास कुमार अग्रवाल और अन्य** ; 12,35

[2015] (2015) 16 एस. सी. सी. 778 :
अजीत कुमार पी. और अन्य बनाम **रेमिन के. आर. और अन्य** । 12,34

सिविल अपीली अधिकारिता : 2019 की सिविल अपील सं. 5185.

2015 के विशेष सिविल आवेदन सं. 1100 में 2015 की लेटर्स पेंटेंट अपील सं. 1103 में गुजरात उच्च न्यायालय की अहमदाबाद पीठ के तारीख 15 मार्च, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री वी. के. गर्ग, ज्येष्ठ अधिवक्ता, ओ. पी. भडानी, एस. एस. पांडेय, सुश्री नुपुर दूबे और सुश्री रश्मि अत्रे

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री प्रीतेश कपूर, ज्येष्ठ अधिवक्ता, सुश्री हेमन्तिका वाही और सुश्री जेसल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर ने दिया ।

न्या. नज़ीर – इजाजत दी जाती है ।

2. इस अपील में विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा अभ्यर्थी, जिसने आरक्षित प्रवर्ग का होने के परिणामस्वरूप किसी चयन प्रक्रिया में आयु शिथिलीकरण का लाभ उठाया है, इसके पश्चात् सामान्य प्रवर्ग के स्थान में समायोजित/या स्थानांतरित किए जाने की ईप्सा कर सकता है?

3. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य, जो इस अपील का विनिश्चय करने के लिए आवश्यक हैं, निम्न प्रकार हैं :–

4. गुजरात लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक (वर्ग-II) (संक्षेप में 'ए. सी. एफ.') के 47 पदों के लिए और वन खंड अधिकारी (वर्ग-II) (संक्षेप में 'आर. एफ. ओ.' के 120 पदों के लिए तारीख 1 मार्च, 2010 का विज्ञापन और उसके पश्चात् एक शुद्धिपत्र जारी किया था । उक्त विज्ञापन और शुद्धिपत्र के अनुसार, कुल 84 पद अनारक्षित (सामान्य प्रवर्ग) में से भरे जाने थे । उक्त 84 पदों में से 26 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे, 48 पद सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (जिसे संक्षेप में 'एस. ई. बी. सी.' कहा गया है) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों में से भरे जाने थे । एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 48 पदों में से 18 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे, 9 पद अनुसूचित जाति (जिसे संक्षेप में 'एस. सी.' कहा गया है) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों में से भरे जाने थे, जिनमें से दो पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे । इसी प्रकार, 26 पद अनुसूचित जनजाति (जिसे संक्षेप में 'एस. टी.' कहा गया है) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों में से भरे जाने थे, जिनमें से 8 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे । विज्ञापन में यह भी अनुबंध किया गया था कि यथासाध्य 25 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी जो मुख्य विषय के रूप में वन-विज्ञान सहित बी. एस-सी. डिग्री धारण करते हैं । गुजरात लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन में यह अनुबंध किया था कि अभ्यर्थियों को अपने आन-लाइन आवेदन 1 मार्च, 2010 से 6 अप्रैल, 2010 के बीच प्रस्तुत करने चाहिएं । शैक्षिक अर्हताओं, आयु, परीक्षा की पद्धति तथा आवेदन प्रस्तुत करने से संबंधित कदमों के बारे में ब्यौरों का

वर्णन विज्ञापन में किया गया है ।

5. गुजरात लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा 30 मई, 2010 को और मुख्य लिखित परीक्षा 27 मई, 2013 से 2 जून, 2013 तक आयोजित की । मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम 21 मई, 2014 को घोषित किया गया था । जिन 505 अभ्यर्थियों ने मुख्य लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी उन्हें शारीरिक मापमान परीक्षा के लिए बुलाया गया था । व्यक्तिगत साक्षात्कार 16 जून, 2014 से 31 जुलाई, 2014 के बीच लिए गए थे ।

6. अपीलार्थी ने एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग में आवेदन प्रस्तुत किया । उसने गुजरात लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की । 25 सितम्बर, 2014 को प्रकाशित चयनित अभ्यर्थियों की सूची में उसका नाम क्रम संख्यांक 138 पर दर्शाया गया था ।

7. अपीलार्थी का पक्षकथन यह है कि गुजरात लोक सेवा आयोग ने योग्यता सूची तैयार करते समय **जितेन्द्र कुमार सिंह और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को अनदेखा कर दिया है । इसलिए, अपीलार्थी ने उपर्युक्त योग्यता सूची की शुद्धता को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष 2015 का विशेष सिविल आवेदन सं. 1100 फाइल किया ।

8. विद्वान् एकल न्यायाधीश ने तारीख 11 जून, 2015 के अपने आदेश द्वारा वह आवेदन निम्नलिखित निबंधनों में मंजूर कर लिया :–

> "आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे मेधावी विद्यार्थियों के संबंध में (जिन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण सामान्य/खुले प्रवर्ग में अपनी स्थिति सुनिश्चित की है) केवल इस कारण कि उन्होंने ऐसी "रियायत" के फायदे का उपभोग किया है जिसे "योग्यता के शिथिलीकरण" के रूप में भी नहीं समझा जा सकता है, उनके अपने-अपने आरक्षित प्रवर्ग में विचार किए जाने की कार्रवाई अपास्त की जाती है चूंकि इसे जितेन्द्र कुमार सिंह (उपर्युक्त) वाले

[1] (2010) 3 एस. सी. सी. 119.

मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के प्रतिकूल पाया गया है ।"

9. गुजरात लोक सेवा आयोग ने विद्वान् एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना करते हुए लेटर्स पेटेंट अपील फाइल की । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने तारीख 15 मार्च, 2017 के आदेश द्वारा वह अपील मंजूर कर ली है और विद्वान् एकल न्यायाधीश के आदेश को निम्न प्रकार अपास्त कर दिया है :–

"माननीय उच्चतम न्यायालय तथा इस न्यायालय द्वारा दिए गए इसमें इसके ऊपर चर्चित विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए और उपर्युक्त पैराओं में हमारे द्वारा की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह राय है कि गुजरात राज्य ने तारीख 11 फरवरी, 1986 के सरकारी संकल्प और तारीख 29 जनवरी, 2000 और 23 जुलाई, 2004 के परिपत्रों द्वारा आरक्षण नीति विरचित की थी तथा कानूनी उपबंधों, अर्थात् 1967 के भर्ती नियमों, वर्ष 2007, 2008 और 2009 के नियमों को ध्यान में रखते हुए हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि किसी आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे सभी अभ्यर्थी, यदि वे आयु शिथिलीकरण के फायदे का उपभोग करते हैं तो उसे मानक में शिथिलीकरण के रूप में समझा जाना है और इसलिए ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने आयु शिथिलीकरण का फायदा प्राप्त किया है, सामान्य प्रवर्ग में विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं और उनके मामलों पर केवल आरक्षित प्रवर्ग के मामलों के संबंध में ही विचार किया जाना है । इस प्रकार, जितेन्द्र कुमार सिंह (उपर्युक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया विनिश्चय प्रस्तुत मामले के तथ्यों को लागू नहीं होगा और राज्य सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए आयु शिथिलीकरण के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह मानक में शिथिलीकरण है और इसे रियायत नहीं समझा जा सकता है । हम विचारार्थ उद्भूत प्रश्न का तद्नुसार उत्तर देते हैं ।"

10. इस अपील में अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ

के उपर्युक्त आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती दी है ।

11. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री वी. के. गर्ग और प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री प्रीतेश कपूर की सुनवाई की है ।

12. श्री गर्ग ने यह दलील दी है कि आरक्षित प्रवर्ग के किसी अभ्यर्थी को चयन के मामले में कोई अधिमानी लाभ अनुदत्त किए बिना केवल समर्थ बनाने के लिए आरंभिक प्रक्रम पर अभ्यर्थियों को अनुदत्त आयु में शिथिलता/रियायत को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण के आनुषंगिक नहीं माना जा सकता है । गुजरात सरकार द्वारा जारी किए गए तारीख 29 जनवरी, 2000 और 23 जुलाई, 2004 के परिपत्रों से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि किसी पद पर चयन के मामले में आयु में दी गई रियायत को आरक्षण के आनुषंगिक नहीं माना जा सकता है । अतः, आरंभिक अर्हक प्रक्रम पर आयु में शिथिलता इन परिपत्रों के विरुद्ध नहीं होगी । ए. सी. एफ./आर. एफ. ओ. प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2008 की अनुसूची के साथ पठित उसके नियम 4 में स्पष्ट रूप से यह अनुबंध किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा किसी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में बैठने के लिए केवल अर्हित घोषित करने के लिए होती है । केवल परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन ही पद पर नियुक्ति के लिए उसके चयन का मानदंड होगा । अतः, प्रारंभिक परीक्षा के प्रक्रम पर शिथिलता प्रदान करना चयन के लिए आरक्षण का फायदा प्रदान करने की कोटि में नहीं आएगी । यह दलील दी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की भाषा गुजरात राज्य में जारी किए गए तारीख 29 जनवरी, 2000 और 23 जुलाई, 2004 के परिपत्रों की भाषा के समरूप है । अतः, **जितेन्द्र कुमार सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले का विनिश्चयाधार प्रस्तुत मामले के तथ्यों को भी समान रूप से लागू होगा । उसने अपनी दलील के समर्थन में, **अजीत कुमार पी. और अन्य** बनाम **रेमिन के. आर. और अन्य**[1] तथा **विकास संखाला और अन्य**

[1] (2015) 16 एस. सी. सी. 778.

बनाम **विकास कुमार अग्रवाल और अन्य**[1] वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का भी अवलंब लिया है ।

13. दूसरी ओर, विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री प्रीतेश कपूर ने यह दलील दी है कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने किसी आरक्षित प्रवर्ग का होने के फलस्वरूप चयन प्रक्रिया में आयु में शिथिलता का लाभ उठाया है, उसके पश्चात् सामान्य प्रवर्ग के स्थानों में समायोजित किए जाने की ईप्सा नहीं कर सकता है । इस संबंध में, उसने हमारा ध्यान तारीख 29 जनवरी, 2000 और 23 जुलाई, 2004 के परिपत्रों की ओर आकृष्ट किया है । इसके अलावा, यह दलील दी गई है कि **जितेन्द्र कुमार सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का निर्णय इस मामले के तथ्यों को लागू नहीं होता है । यह विनिश्चय उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपनाई गई नीति के संदर्भ में दिया गया था । उसने अपनी दलीलों के समर्थन में **दीपा ई. वी.** बनाम **भारत संघ और अन्य**[2] और **गौरव प्रधान और अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया है । यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में आरंभिक प्रक्रम पर अनुदत्त आयु में शिथिलता आवश्यक रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण की अनुषंगी है ।

14. हमने विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल द्वारा न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का परिशीलन किया है । इस अपील में अंतर्वलित विवाद्यक को विनिश्चित करने के लिए कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है ।

15. राज्य सरकार ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 10 अक्तूबर, 1967 की अधिसूचना द्वारा 1967 के नियम बनाए थे । नियम 8 के उपनियम (2) के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी को एस. सी./एस. टी. और एस. ई. बी. सी. के अभ्यर्थियों के पक्ष में और महिला अभ्यर्थियों के पक्ष

---

[1] (2017) 1 एस. सी. सी. 350.

[2] (2017) 12 एस. सी. सी. 680.

[3] (2018) 11 एस. सी. सी. 352.

में उसमें उपदर्शित सीमा तक आयु सीमा को शिथिल करने की शक्ति प्रदान की गई है । कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने तारीख 22 मई, 1989 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुरूप एक नीति विरचित की है जो राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के प्रवर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध करने के लिए समर्थ बनाती है । इसके पश्चात्, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने तारीख 1 जुलाई, 1998 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा तारीख 22 मई, 1989 के पूर्ववर्ती कार्यालय ज्ञापन को स्पष्ट किया है ।

16. इसी बीच, राज्य सरकार ने अपने सामान्य प्रशासन विभाग में तारीख 11 दिसम्बर, 1986 के सरकारी संकल्प द्वारा इस आशय की एक नीति विरचित की कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के ऐसे सदस्यों के संबंध में, जिन्हें राज्य सेवाओं में सम्मिलित किसी सेवा या पद पर या अधीनस्थ सेवाओं में अपनी योग्यता के आधार पर सीधे चयन द्वारा नियुक्ति के लिए चयनित कर लिया जाता है, ऐसे अनारक्षित पदों पर, जो योग्यता के आधार पर भरे जाते हैं, सामान्य प्रवर्ग के अन्य सदस्यों के साथ-साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा । तारीख 11 दिसम्बर, 1986 के उक्त सरकारी संकल्प के अनुसार, ऐसी जातियों और जनजातियों के सदस्यों की योग्यता के आधार पर की गई ऐसी नियुक्तियों के कारण समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अधीन उनके लिए आरक्षित सेवाओं या पदों पर नियुक्ति के लिए ऐसी जातियों और जनजातियों के सदस्यों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । राज्य सरकार ने तारीख 29 जनवरी, 2000 के परिपत्र सं. पी. वी. एस.-1099-एम. वी. एन.-13-जी-4 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि यदि आरक्षित प्रवर्ग के किसी अभ्यर्थी ने किसी शिथिलीकरण, अर्थात्, आयु सीमा, अनुभव, अर्हता, परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या, का लाभ नहीं लिया है तो उक्त अभ्यर्थी को खुले प्रवर्ग में समायोजित किया जाएगा और यदि अभ्यर्थी ने उपर्युक्त किसी शिथिलता का लाभ लिया है तो उसे आरक्षित स्थानों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा । यह परिपत्र निम्नलिखित रूप में है :–

> "…. इस संबंध में सावधानीपूर्वक और पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात्, यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जिनका उन्हीं मानदंडों के आधार पर चयन हो जाता है जो मानदंड सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को लागू होते हैं, अनारक्षित पदों के विरुद्ध न कि आरक्षित पदों के विरुद्ध गिना/समायोजित किया जाएगा । जब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के चयन में आयु सीमा, अनुभव, अर्हता, लिखित परीक्षा में अवसरों की अनुज्ञात संख्या, विचार किए जाने के विस्तारित क्षेत्र के संबंध में जो सामान्य प्रवर्ग के लिए उपबंधित विचार किए जाने के क्षेत्र से बृहत्तर है, शिथिल मानदंड को लागू किया गया है तब ऐसी व्यवस्था के अधीन चयनित किए गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की गणना आरक्षित पदों के विरुद्ध की जाएगी । ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचार किए जाने के लिए अनुपलब्ध समझा जाएगा ।"

17. राज्य सरकार ने तारीख 23 जुलाई, 2004 के परिपत्र सं. पी. वी. एस.-102003-900-जी-4 द्वारा एक और स्पष्टीकरण किया । इस परिपत्र में निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया था :–

"…. सरकार द्वारा इस संबंध में सावधानीपूर्वक विचार किए जाने के पश्चात्, यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिनका पात्रता के लिए विहित मानदंडों में किसी शिथिलता का लाभ लिए बिना प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर चयन हो जाता है, आरक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी की गणना आरक्षित पदों के विरुद्ध की जाएगी, जिसका प्रतियोगी लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार में अर्हक अंकों में शिथिलता का लाभ लेते हुए चयन हो जाता है । तथापि, आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें परीक्षा फीस का

संदाय करने से छूट प्रदान की गई है, किसी अनारक्षित खाली पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने से वर्जित नहीं किए जाएंगे ।"

18. इस प्रकार, राज्य की सेवाओं में श्रेणी । और श्रेणी ।। के पद पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्ग में नियुक्तियां उपर्युक्त नीतियों द्वारा शासित की जा रही हैं और राज्य सरकार और/या सीधी नियुक्तियां करने वाले किसी प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि भर्ती प्रक्रिया, अर्थात्, चयन सूची आदि तैयार करते समय उपरोक्त नीति संबंधी विनिश्चय को प्रभावी किया जाए ।

19. उपर्युक्त दो परिपत्रों से यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने आरक्षित प्रवर्ग का होने के फलस्वरूप चयन प्रक्रिया में आयु शिथिलीकरण का लाभ लिया है, इसके पश्चात् सामान्य प्रवर्ग के स्थानों पर समायोजित किए जाने या उसमें स्थानांतरित किए जाने की ईप्सा नहीं कर सकता है ।

20. गुजरात राज्य ने ए. सी. एफ. के पद पर भर्ती का विनियमन करने के लिए गुजरात वन सेवा श्रेणी ।। भर्ती नियम 2007 में नियम विरचित किए थे :–

"(i) गुजरात वन सेवा, श्रेणी ।। भर्ती नियम, 2007 में सहायक वन संरक्षक ;

(ii) गुजरात वन सेवा, श्रेणी ।। भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 में सहायक वन संरक्षक ;

(iii) गुजरात वन सेवा, श्रेणी ।। भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 में सहायक वन संरक्षक ।"

21. इसी प्रकार, गुजरात राज्य ने आर. एफ. ओ. श्रेणी ।। के पद पर भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए :–

"(i) वन खंड अधिकारी, श्रेणी ।। भर्ती नियम, 2008 ;

(ii) वन खंड अधिकारी, श्रेणी ।। भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 ;

(iii) वन खंड अधिकारी, श्रेणी ।। भर्ती (संशोधन) नियम, 2009."

22. राज्य सरकार ने तारीख 18 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना द्वारा 2008 के परीक्षा नियम विरचित किए ।

23. गुजरात लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित तारीख 1 मार्च, 2010 के विज्ञापन में, जिसके द्वारा ए. सी. एफ. (श्रेणी II) और आर. एफ. ओ. (श्रेणी II) के पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, एस. सी./एस. टी. और एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की गई थी । उस विज्ञापन में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन भी किया गया था कि यदि आरक्षित प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी सामान्य प्रवर्ग में आवेदन करता है तो ऐसा अभ्यर्थी आयु शिथिलीकरण का फायदा प्राप्त नहीं करेगा । ऐसा आयु-शिथिलीकरण 1967 के नियमों के नियम 8 के अनुसरण में प्रदान किया गया था, जो कि इस प्रकार है :–

> *"8. विहित अर्हताओं के बारे में शर्त –
>
> (1) * * * * *
>
> (2) जहां विहित अर्हता में आयु सीमा के बारे में कोई अर्हता शामिल होती है वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में और ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में, जो महिला है, निम्नलिखित सीमा तक आयु सीमा को शिथिल कर सकेगा, अर्थात् –

---

*अंग्रेज़ी में यह इस प्रकार है :–

> "8. Condition as to prescribed qualifications –
>
> (1) * * * * *
>
> (2) Where the prscribed qualification include a qualification as to age limit the appointing authority may relax the age limit in favour of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Socially and Educationally Backward Class and in favour of candidate who are women to the following extent, that is to say –

(क) किसी अधीनस्थ सेवा में या किसी राज्य सेवा की किसी ऐसी सेवा या ऐसे पद की दशा में, जिसकी बाबत विहित आयु सीमा चालीस वर्ष से अधिक नहीं है, आयु सीमा पांच वर्ष की सीमा तक शिथिल की जा सकेगी ।

(ख) राज्य सेवा की किसी ऐसी सेवा या ऐसे पद की दशा में जिसकी बाबत विहित आयु सीमा चालीस वर्ष से अधिक है, आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष की सीमा तक शिथिल की जा सकेगी जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि सेवा में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु सीमा पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं है ।"

24. संविधान का अनुच्छेद 16(4) एक समर्थकारी उपबंध है जिसके द्वारा राज्य को नागरिकों के किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में, जिसके बारे में राज्य की राय यह है कि उसका राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्तियों या पदों पर आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने के लिए सशक्त किया गया है । यह पूर्णतः राज्य सरकार के विवेकाधिकार का विषय है कि वह पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में सशर्त या अशर्त रियायत, छूट, अधिमानता या शिथिलता के लिए कोई नीति विरचित करे । चूंकि आरक्षण एक समर्थकारी उपबंध है इसलिए वह रीति और सीमा, जिस तक आरक्षण का उपबंध किया गया है, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश से स्पष्ट होनी चाहिए ।

25. वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने तारीख 21 जनवरी, 2000 और 23 जुलाई, 2004 के परिपत्रों द्वारा एस. सी./एस. टी. और ओ. बी.

(a) In the case of a service or post in a subordinate service or of a State Service in respect of which the prescribed age limit does not exceed forty years, the age limit may be relaxed to the extent of five years.

(b) In the case of service or post in the State Service in respect of which prescribed age limit exceeds forty years, the age limit may be relaxed to the extent of maximum five years, so as to provide that upper age limit for entry in the service does not exceed forty five years."

सी. के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने के लिए नीति विरचित की है । राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब एस. सी./एस. टी., एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग के लिए किसी अभ्यर्थी का चयन करते समय आयु सीमा, अनुभव, अर्हता, लिखित परीक्षा में अनुज्ञात अवसरों की संख्या के संबंध में शिथिलीकृत मानदंड लागू किया जाता है तब उक्त रीति में चयनित ऐसे प्रवर्ग के अभ्यर्थी के बारे में उसके आरक्षित पद पर ही विचार किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थी को अनारक्षित पद के विरुद्ध विचार करने के लिए अनुपलब्ध समझा जाएगा ।

26. अब हम **जितेन्द्र कुमार सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय पर विचार करते हैं । इस मामले में, यह न्यायालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (जिसे संक्षेप में 1994 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (6) और सरकार के तारीख 25 मार्च, 1994 के अनुदेशों के निर्वचन पर विचार कर रहा था । इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण का उपबंध था, जो कि निम्नलिखित रूप में है :-

> *"(6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी प्रवर्ग के किसी व्यक्ति का सामान्य अभ्यर्थियों के साथ किसी खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयन हो जाता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसे प्रवर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा ।"

27. उत्तर प्रदेश राज्य ने उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित

---

*अंग्रेज़ी में यह इस प्रकार है :-

> "(6) If a person belonging to any categories mentioned in sub-section (1) gets selected on the basis of merit in an open competition with general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section(1)."

जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े समूहों के लिए आरक्षण के विषय पर तारीख 25 मार्च, 1994 को अनुदेश जारी किए । इन अनुदेशों की अंतिम पंक्ति निम्नलिखित रूप में है :-

> "यह अतात्विक होगा कि उसने आरक्षित प्रवर्ग के लिए उपलब्ध किसी सुविधा या शिथिलीकरण (जैसे आयु सीमा में शिथिलीकरण) का लाभ उठाया है ।"

28. इस न्यायालय ने 1994 के अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) और तारीख 25 मार्च, 1994 के अनुदेशों पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि किसी आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को आयु में शिथिलीकरण प्रदान करना उसके विरुद्ध सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी के रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता यदि उसने सामान्य प्रवर्ग के किसी अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं । यह निर्णय 1994 के अधिनियम और तारीख 25 मार्च, 1994 के अनुदेशों के कानूनी निर्वचन पर आधारित था जो कि वर्तमान अपील में विचाराधीन कानूनी स्कीम से पूर्णतः भिन्न है । अतः, **जितेन्द्र कुमार सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिकथित सिद्धांत प्रस्तुत मामले के तथ्यों को लागू नहीं होते हैं ।

29. **दीपा** (उपर्युक्त) वाले मामले में अपीलार्थी ने भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् में प्रयोगशाला सहायक, श्रेणी II के पद के लिए आयु के शिथिलीकरण का लाभ प्राप्त करते हुए ओ. बी. सी. प्रवर्ग के अधीन आवेदन किया था । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने तारीख 22 मई, 1989 को कार्यवाही कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर भर्ती करने के लिए और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के संबंध में अनुसरण किए जाने वाले अनुबंध अधिकथित किए गए थे । उक्त कार्यालय ज्ञापन का पैरा 3 निम्नलिखित रूप में है :-

> "3. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि एस. सी./एस. टी./ओ. बी. सी. के केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जिनका उन्हीं मानदंडों के आधार पर चयन हो जाता है जो सामान्य अभ्यर्थियों को लागू होते हैं, आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं

किया जाएगा ।"

30. **जितेन्द्र कुमार सिंह** (उपर्युक्त) वाले निर्णय का इस दलील के समर्थन में अवलंब लिया गया था कि जब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का चयन करते समय शिथिलीकृत मानदंड लागू किया जाता है तब उसे ऐसे अभ्यर्थियों पर सामान्य प्रवर्ग की रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के वर्जन के रूप में नहीं माना जा सकता है । यह न्यायालय उक्त प्रतिपादना से सहमत नहीं था । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि **जितेन्द्र कुमार सिंह** (उपर्युक्त) वाला निर्णय 1994 के उत्तर प्रदेश अधिनियम और तारीख 25 मार्च, 1994 के सरकारी आदेश के कानूनी निर्वचन पर आधारित था जिसमें पूर्णतः भिन्न स्कीम के लिए उपबंध किया गया है । अतः, **जितेन्द्र कुमार सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिकथित सिद्धांत उक्त मामले को लागू नहीं किए जा सकते हैं ।

31. ऐसा ही प्रश्न **गौरव प्रधान** (उपर्युक्त) वाले मामले में उद्भूत हुआ था । इस मामले में, सरकार ने तारीख 24 जून, 2008 का परिपत्र जारी किया था, जो कि निम्नलिखित रूप में है :-

"तारीख 24 जून, 2008 का परिपत्र

6.2. राज्य में, एस. सी./एस. टी./ओ. बी. सी. के सदस्य अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और यदि उन्होंने कोई रियायत (जैसे आयु, आदि के संबंध में) सीधी भर्ती की दशा में परीक्षा फीस के संदाय से रियायत नहीं ली है तो उनकी गणना उन्हीं रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी ।"

32. इस न्यायालय ने उपर्युक्त परिपत्र पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि **जितेन्द्र कुमार सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में के निर्णय के विनिश्चयाधार का पठन कानूनी उपबंधों और तारीख 25 मार्च, 1994 के सरकारी आदेश के संदर्भ में करना होगा और उक्त मताभिव्यक्ति को ऐसे किसी मामले में लागू नहीं किया जा सकता है जहां सरकारी आदेश प्रतिकूल प्रभाव वाले हैं । इसमें निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था :-

"32. हमारा यह मत है कि जितेन्द्र कुमार सिंह (उपर्युक्त)

वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को, जो कि कानूनी स्कीम और तारीख 25 मार्च, 1994 के परिपत्र पर आधारित था, उस स्कीम तक सीमित रखना होगा जो कि विचाराधीन थी, कानूनी स्कीम और उक्त स्कीम से यथा-उपदर्शित राज्य सरकार के आशय को ऐसे किसी राज्य को लागू नहीं किया जा सकता है जहां राज्य के परिपत्र इसके प्रतिकूल हैं, विशेष रूप से तब जब कि तारीख 24 जून, 2008 के परिपत्र द्वारा यथा-वर्णित प्रतिकूल स्कीम को हमारे समक्ष कोई चुनौती नहीं दी गई है ।"

33. **दीपा** (उपर्युक्त) और **गौरव प्रधान** (उपर्युक्त) वाले मामलों में दिए गए निर्णयों से प्रत्यर्थियों के पक्षकथन को पूर्णतः समर्थन मिलता है ।

34. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल द्वारा अवलंब लिया गया **अजीत कुमार** (उपर्युक्त) वाला निर्णय वर्तमान अपील के तथ्यों को लागू नहीं होता है । उस मामले में, यह न्यायालय आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में शिथिलीकरण प्रदान करने वाले किसी कानूनी उपबंध/परिपत्र के प्रभाव की परीक्षा नहीं कर रहा था ।

35. इसी प्रकार, **विकास संखाला** (उपर्युक्त) वाले मामले में, भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के टी. ई. टी. के अंकों में (राज्य सरकार के तारीख 23 मार्च, 2011 के आदेशों के अधीन) शिथिलीकरण अनुज्ञात किया गया था । ऐसे शिथिलीकरण के पश्चात्, आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों का सामान्य प्रवर्ग के अंतिम अभ्यर्थी से अधिक अंक अभिप्राप्त करने के आधार पर चयन किया गया था और उन्हें सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों में शामिल किया गया था । सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों ने यह दलील दी थी कि चूंकि शिथिलीकरण तारीख 11 मई, 2011 के परिपत्र से पूर्व प्राप्त किया गया था इसलिए आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के रूप में शामिल किए जाने के पात्र नहीं थे । इस न्यायालय ने समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों की अवेक्षा करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि टी. ई. टी. परीक्षा में अंकों में प्रदान की गई शिथिलता भर्ती प्रक्रिया का भाग नहीं थी । इस निर्णय से भी अपीलार्थी को किसी भी रीति में सहायता नहीं मिलती है ।

36. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउन्सेल की इस दलील में भी कोई सार नहीं है कि आरंभिक अर्हक प्रक्रम पर आयु में शिथिलीकरण तारीख 29 जनवरी, 2000 और 23 जुलाई, 2004 के परिपत्रों के विरुद्ध नहीं था । प्रारंभिक और अंतिम परीक्षा में जो प्रभेद करने की ईप्सा की गई है वह पूर्णतः भ्रामक है । विज्ञापन से यह स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति, जो आरंभिक प्रक्रम पर आयु शिथिलीकरण का लाभ लेता है, अंतिम प्रक्रम पर भी वह उसी शिथिलीकरण का आवश्यक रूप से लाभ लेगा । हमारा यह मत है कि वर्तमान मामले में एस. सी./एस. टी. और एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रदान की गई आयु में शिथिलता भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण की एक घटना है ।

37. इस अपील में कोई सार नहीं है । तद्नुसार, वह खारिज की जाती है । तथापि, पक्षकारों को अपने-अपने खर्चों का स्वयं वहन करने का निदेश दिया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

ग्रो.

[2019] 4 उम. नि. प. 365

आल मणिपुर पेंशनर्स एसोसिएशन, उसके सचिव द्वारा

बनाम

मणिपुर राज्य और अन्य

[2016 की सिविल अपील सं. 10857]

11 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 14, 16, 309 और 148(5) [सपठित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का नियम 49] – मणिपुर राज्य द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 को अंगीकार